न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 32/2021
दायर दिनांक :– 12.04.2021

अनवान

सुखदेव पिता नारायण मीणा निवासी धुंवाला तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. सोदान पिता नारायण मीणा निवासी धुंवाला तह. जहाजपुर
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जहाजपुर तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 04.07.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम धुंवाला प. ह. धुंवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 1286/680 रकबा 4–19 बीघा, आ.न. 1373/680 रकबा 0–02 बीघा गे मु आचा कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में दर्ज हैं आराजी नं. 1286/680 के पुराने खसरा सं. 680/3/1 रकबा 7–10 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 सोदान पिता नारायण मीणा के खाते सम्वत 2052 से 2055 में दर्ज थी। उक्त वर्णित आराजी के पुराने खसरा नं. 680/3/1 रकबा 7–10 बीघा में से 1–02 बीघा कृषि भूमि दिनाक 23.6.1999 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी सं. 1 सोदान पिता नारायण मीणा ने वादी से प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी सुखदेव पिता नारायण मीणा के नाम उप पंजीयन कार्यालय जहाजपुर में पजीयन करा कर कृषि भूमि का कब्जा वादी को सम्भला दिया तभी से वादी 1–02 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में से वादी ने जरिये पंजीकतृ विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 1–02 बीघा कृषि भूमि कय कब्जा प्राप्त किया कय कि दिनांक 23.06.1999 से वादी 1–02 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं वादी सी आई एस एफ में नौकरी करता था इसलिये वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 1–02 बीघा भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करवाने के बाद विक्रय पत्र की एक प्रति ताल्कालीन पटवार हल्का को दे दी तथा प्रतिवादी सं. 1 ने कहा कि विक्रय शुदा जमीन का नामातंकरण आपके नाम पर मै करवा दूंगा इसी बात पर विश्वास करके मै नोकरी पर चला गया। तथा वादी 2011 में पेंशन पर आ गया। वादी पूर्व फौजी होकर उसने पटवारी हल्का पर विश्वास कर लिया था कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड

उप खण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

में वादी के नाम दर्ज हो गई होगी। परन्तु दिंनाक 22 दिसम्बर 2020 को वादी पटवार हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने गया तब जानकारी हुई कि उक्त भूमि विक्रय पत्र द्वारा मेरे नाम दर्ज नही हुई है तथा मैने प्रतिवादी सं. 1 को कहा कि मैने आपसे 1–02 बीघा का विक्रय पत्र निष्पादित करवा कब्जा प्राप्त किया, उक्त भूमि मेरे खाते में दर्ज नही हुई हैं तथा आपने सम्पूर्ण खाते पर केसीसी रहन दर्ज करवा रखा हैं आप उक्त भूमि को रहन मुक्त करवा कर उक्त भूमि में से मेरे नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार 1–02 बीघा भूमि मेरे नाम दर्ज कराओं तो प्रतिवादी सं. 1 सोदान मीणा लगातार टालम टोल कर रहा हैं एवं प्रतिवादी सं. 1 सोदान न ही रहन की राशि प्रतिवादी सं. 2 के यहां जमा करवा रहा है। उक्त वर्णित आराजियात के पुराने खसरा सं. वक्त रजिस्ट्री सम्वत 2052 से 2055 में 680/3/1 रकबा 7–10 बीघा प्रतिवादी सं. 1 के खातो में दर्ज थी तथा 7–10 बीघा में से 04 बिस्वा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हो गई तथा सम्वत 2056 ये 2059 में खाता सं. 435 प्रतिवादी सं. 1 सोदान पिता नारायण मीणा के खाते में आराजी नं. 680/3/1 रकबा 7–06 बीघा भूमि दर्ज थी जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 सोदान मीणा ने नामांतकरण सं. 1157 से श्रीमति नन्दूदेवी पत्नि सुखदेव मीणा को 1–10 बीघा भूमि का बेचान कर दिया इस कारण प्रतिवादी सं. 1 सोदान के नाम आराजी संख्या 680/3/1 मीन रकबा 5–16 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई तथा सम्वत 2060 से 2063 में आराजी नं. 680/3/1 मीन शुद्वि पत्र दिनाक 24.05.2005 को 680/3/1 मीन के स्थान पर 1286/680 दर्ज किया तथा 1286/680 में कुआं होने से आराजी नं. 1373/680 रकबा 2 बिस्वा गे मु आचा दर्ज किया गया। एवं जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 आ.न. 1286/680 रकबा 5–14 बीघा में से सिंचाई विभाग बिसलपुर परि. देवली जिला टोंक द्वारा 15 बिस्वा भूमि अवाप्ति की इस कारण आ. न. 1286/680 रकबा 5–14 बिस्वा से कम होकर 4–19 बीघा रह गया। तथा आराजी चाह न. 1373/680 रकबा 2 बिस्वा गे मु आचा दर्ज हैं तथा सम्वत 2072 से 2075 की जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 2087 दिनांक 09.07.2015 को सम्पूर्ण खाता प्रतिवादी सं. 2 के यहां रहन रख दिया। उक्त कृषि आराजियात में से वादी ने जरिये पंजकृत दस्तावेज द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से रकबा 1–02 बीघा कृषि भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। क्रय की दिनाक 23.06.1999 से ही वादी का 1–02 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं इसलिये वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में से वादी ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा 1–02 बीघा कृषि भूमि क्रय की है इस कारण आराजी नं. 1286/680 रकबा 4–19 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादी को रकबा 1–02 बीघा कृषि भूमि का खातोदार काश्तकार घोषित कर घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 1 को कृषि ऋण देने से पहले भौतिक रूप से कब्जा संबधी जानकारी नही कर ऋण दिया गया जो प्रतिवादी सं .2 की गौर लापरवाही रही हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 कृषि ऋण की राशि प्रतिवादी सं. 2 को अदा नही करता है तो भी प्रतिवादी सं. 2 ऋण

Scanned with CamScanner

की राशि शेष जमीन से वसूली हो सकती हैं इसलिये प्रतिवादी सं. 2 का पैरा नं. 1 में वर्णित कृषि जमीन 4–19 बीघा की जगह 3–17 बीघा कृषि भूमि रहन दर्ज किया जाना न्यायोचित है तथा 01–02 बीघा कृषि जमीन कम होने से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को किसी प्रकार की हानि नही होगी। इस कारण उक्त आराजियात पर रहन का दाखिला प्रतिवादी सं. 1 की शेष रही भूमि पर अंकित किया जाना न्यायोचित हैं एवं बाद खातेदार काश्तकार घोषित होने के बाद वादी के निरंतर चले आ रहे कब्जा काश्त में प्रतिवादी सं. 1 एवं उनके नोकर ऐजेन्ट रिश्तेदार दखल अंदाजी नही करे इस आशय की स्थायी निशेधाज्ञा की डिकी से पाबान्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं वादी ने दिनांक 22.12.2022 को जमाबन्दी की नकले लेने गया तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड निरीक्षण करने पर वादी को अपनी खदीर सुदा जमीन के अपने नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुई तथा प्रतिवदी सं. 1 ने रहन राशि जमा कराने मना कर दिया एवं खाता खुलवाने में सहयोग करने से मना करने से वाद हेतुक दिनाक 22.2.2020 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजियात में से 4–19 बीघा में से वादी सुखदेव पिता नाराण मीणा को रकबा 1–02 बीघा कृषि भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराना फरमावे। तथा उक्त वर्णित कृषि आराजियात में प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्से की कृषि भूमि में रहन का दाखिला बदस्तुर दर्ज किये जाने की घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराना फरमावे। बाद खातेदार काश्तकार घोषित होने पर वादी के चले आ रहे कब्जा काश्त में प्रतिवादी सं 1 दखल अंदाजी नहीं करे, न कब्जा काश्त से बेदखल करे करावे, न अपने नोकर, ऐजेन्ट, रिश्तेदारों से करे करावे कि स्थायी निशेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रदर्श प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 की प्रति प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 की प्रति प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 की प्रति प्रदर्श 5 पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में सुखदेव मीणा, पी डब्ल्यु 1, सोजीराम पी डब्ल्यु 2, उगमाराम पी डब्ल्यु 3, के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 680/3/1 रकबा 7–10 बीघा में से 1–02 बीघा कृषि भूमि दिनाक 23.6.1999 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र द्वारा प्रतिवादी सं. 1 सोदान पिता नारायण मीणा ने वादी से प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी सुखदेव पिता नारायण मीणा के

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

नाम उप पंजीयन कार्यालय जहाजपुर में पजीयन करा कर कृषि भूमि का कब्जा वादी को सम्भला दिया तभी से वादी 1–02 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजियात के पुराने खसरा सं. वक्त रजिस्ट्री सम्वत 2052 से 2055 में 680/3/1 रकबा 7–10 बीघा प्रतिवादी सं. 1 के खातो में दर्ज थी तथा 7–10 बीघा में से 04 बिस्वा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हो गई तथा सम्वत 2056 से 2059 में खाता सं. 435 प्रतिवादी सं. 1 सोदान पिता नारायण मीणा के खाते में आराजी नं. 680/3/1 रकबा 7–06 बीघा भूमि दर्ज थी जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 सोदान मीणा ने नामांतकरण सं. 1157 से श्रीमति नन्दूदेवी पत्नि सुखदेव मीणा को 1–10 बीघा भूमि का बेचान कर दिया इस कारण प्रतिवादी सं. 1 सोदान के नाम आराजी संख्या 680/3/1 मीन रकबा 5–16 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई तथा सम्वत 2060 से 2063 में आराजी नं. 680/3/1 मीन शुद्वि पत्र दिनाक 24.05.2005 को 680/3/1 मीन के स्थान पर 1286/680 दर्ज किया। एवं जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 आ.न. 1286/680 रकबा 5–14 बीघा में से सिंचाई विभाग बिसलपुर परि. देवली जिला टोंक द्वारा 15 बिस्वा भूमि अवाप्ति की इस कारण आ. न. 1286/680 रकबा 5–14 बिस्वा से कम होकर 4–19 बीघा रह गया। तथा सम्वत 2072 से 2075 की जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 2087 दिनांक 09. 07.2015 को सम्पूर्ण खाता प्रतिवादी सं. 2 के यहां रहन रख दिया। उक्त कृषि आराजियात में से वादी ने जरिये पंजिकृत दस्तावेज द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से रकबा 1–02 बीघा कृषि भूमि को कय कर कब्जा प्राप्त किया। कय की दिनाक 23.06.1999 से ही वादी का 1–02 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसलिये वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में से वादी ने पंजीकृत विकय पत्र द्वारा 1–02 बीघा कृषि भूमि कय की है इस कारण आराजी नं. 1286/680 रकबा 4–19 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादी को रकबा 1–02 बीघा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराना फरमावे। तथा उक्त वर्णित कृषि आराजियात में प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्से की कृषि भूमि में रहन का दाखिला बदस्तुर दर्ज किये जाने की घोषणात्मक डिकी तथा वाद खातेदार काश्तकार घोषित होने पर वादी के चले आ रहे कब्जा काश्त में प्रतिवादी सं 1 दखल अंदाजी नहीं करे, न कब्जा काश्त से बेदखल करे करावे, न अपने नोकर, ऐजेन्ट, रिश्तेदारों से करे करावे कि स्थायी निशेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित किया जाना फरमावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सं. 680/3/1 में सें 1–02 बीघा भूमि वादी द्वारा जरिये पंजिकृत विकय पत्र से प्रतिवादी सं. 1 से कय की गई थी, जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत विकय पत्र प्रदर्श 2 से होती हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 की प्रति प्रदर्श 4 के अनुसार आराजी नं. 680/3/1 मीन जरिये शुद्वि पत्र दिनाक 24.05.2005 को 680/3/1 मीन के स्थान पर 1286/680 नये नम्बर बने है। तथा वादी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

की क्रय शुदा भूमि के नये आराजी नं. 1286/680 है। इसलिये उक्त विक्रय विलेख पत्र अनुसार वादी को ग्राम धुंवाला प. ह. धुंवाला तह0 जहाजपुर की आ0 न0 1286/680 रकबा 4–19 बीघा में से 1–02 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 सोदान पिता नारायण मीणा के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम धुंवाला प. ह. धुंवाला तह0 जहाजपुर की आ0 न0 1286/680 रकबा 4–19 बीघा में से 1–02 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्से की शेष कृषि भूमि में रहन का दाखिला बदस्तुर जारी रहेगा। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

सुखदेव पिता नारायण मीणा निवासी धुंवाला तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. सोदान पिता नारायण मीणा निवासी धुंवाला तह. जहाजपुर
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जहाजपुर तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत – 88, 89, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 32/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम धुंवाला प. ह. धुंवाला तह0 जहाजपुर की आ0 न0 1286/680 रकबा 4–19 बीघा में से 1–02 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्से की शेष कृषि भूमि में रहन का दाखिला बदस्तुर जारी रहेगा। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.07.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner